4/2022/152056/ 2022
संशोधित आदेश

प्रेषक:

बी0एल0 मीणा,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

आयुक्त एवं निबन्धक,
सहकारिता उ0प्र0,
लखनऊ।

सहकारिता अनुभाग-3 लखनऊ : दिनांक 31 मार्च, 2022

विषय: गत् वर्ष 2016-17 से वित्तीय वर्ष 2020-21 तक की अंतर मूल्य की धनराशि का भुगतान वित्तीय वर्ष 2021-22 में यूरिया एवं फॉस्फेटिक उर्वरकों के अग्रिम भण्डारण योजनान्तर्गत प्राविधानित धनराशि से किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या- I/151630/2022, दिनांक 30.03.2022 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा गत् वर्ष 2016-17 से वित्तीय वर्ष 2020-21 तक की अंतर मूल्य की धनराशि आदि का भुगतान वित्तीय वर्ष 2021-22 में यूरिया एवं फॉस्फेटिक उर्वरकों के अग्रिम भण्डारण योजनान्तर्गत प्राविधानित धनराशि से किये जाने के सम्बन्ध में वित्तीय स्वीकृति का आदेश निर्गत किया गया है। उक्त निर्गत आदेश में कतिपय त्रुटियों के परिलक्षित होने पर उक्त त्रुटियों का निराकरण करते हुए संशोधित आदेश निर्गत किया जा रहा है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रश्नगत प्रकरण प्रदेश के कृषकों को समय से यूरिया एवं फास्फेटिक उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु लागू की गयी अग्रिम भण्डारण योजना के अर्न्तगत उर्वरकों के ब्याज, भण्डारण शुल्क एवं परिवहन व्यय की प्रतिपूर्ति एवं वित्तीय वर्ष 2021-22 में अनुदान संख्या-18-लेखाशीर्षक-2425-सहकारिता-800-अन्य व्यय-05-रासायनिक उर्वरकों को अग्रिम भण्डारण-27 सब्सिडी की मद में रू0 15000.00 लाख का बजट प्रावधान है, जिसके सापेक्ष पूर्व में निर्गत धनराशि के उपरान्त प्राप्त प्रस्ताव के सापेक्ष अवशेष धनराशि रूपये 4742.79064 पर वित्त विभाग द्वारा प्रदत्त सहमति/संस्तुति के दृष्टिगत् सारिणी में अंकित धनराशि की प्रतिपूर्ति किये जाने की श्री राज्यपाल महोदया सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं :-

क्र0	वर्ष	मद	संस्था	धनराशि	वित्त विभाग की संस्तुति
1	2016-17	अंतर मूल्य	पीसी0एफ0	4010.00	4010.00
2	2016-17	भण्डारण	पीसी0एफ0	1306.44	0.00
3	2017-18	भण्डारण	पीसी0एफ0	41.03	41.03
4	2019-20	परिवहन	अन्य सहकारी संस्था	161.96	161.96
5	2020-21	ब्याज	पी0सी0एफ0	417.41	417.41
6	2020-21	परिवहन	पी0सी0एफ0	43.35	43.35

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

7	2020-21	भण्डारण	पी0सी0एफ0	21.34	11.77064
8	2020-21	परिवहन	अन्य सहकारी संस्था	57.27	57.27
	योग			**6058.80**	**4742.79064**

(कुल धनराशि रूपये सैंतालिस करोड़ बयालिस लाख उन्यासी हजार चौंसठ मात्र)

उपरोक्त बनी तालिका के अंतिम कॉलम में उल्लिखित धनराशि की स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन की गयी है : -

(1) आपूर्ति किये गये उर्वरकों की मात्रा, देय धनराशि तथा धनराशि की देयता एवं योजना के औचित्य आदि के निर्धारण का दायित्व विभाग का होगा।
(2) प्र0 विभाग द्वारा यह अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जायेगा कि उर्वरकों का समय से बहुत पहले भण्डारण न किया जाय जिससे अनावश्यक रूप से ब्याज एवं भण्डारण शुल्क की देयता निर्धारित हो।
(3) ब्याज दर की देयता न्यूनतम दरों पर निर्धारित की गयी है, यह सुनिश्चित किया जायेगा।
(4) भण्डारण शुल्क के अन्तर्गत निर्धारित की गयी देयता न्यूनतम दरों पर तथा सक्षम स्तर द्वारा अनुमोदित दरों के अनुसार है।
(5) परिवहन मद के अन्तर्गत निर्धारित की गयी देयता सक्षम स्तर द्वारा निर्धारित न्यूनतम एवं अनुमन्य दरों के आधार पर है।
(6) धनराशि के आहरण एवं व्यय के दौरान यह सुनिश्चित किया जायेगा कि किसी भी मद (ब्याज, भण्डारण शुल्क एवं परिवहन) के भुगतान में द्विरावृत्ति/पुनरावृत्ति न हो।
(7) धनराशि के आहरण एवं व्यय के दौरान यह सुनिश्चित किया जायेगा कि धनराशि का व्यय योजना हेतु निर्धारित दिशा निर्देश/गाइडलाईन्स के अनुरूप है।
(8) वर्तमान वित्तीय वर्ष में योजना के संचालन हेतु व्यय को बजट प्रावधान की सीमा तक सीमित रखा जायेगा।
(9) प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति के पश्चात पी0सी0एफ0 की वर्ष 2016-17 की अन्तर मूल्य, वर्ष 2017-18 की भण्डारण शुल्क, वर्ष 2020-21 तक का ब्याज, वर्ष 2020-21 तक का परिवहन मद तथा वर्ष 2019-20 एवं 2020-21 की अन्य सहकारी संस्था की परिवहन मद की कोई भी देयता शेष नहीं रहेगी।
(10) प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति के पश्चात वर्ष 2019-20 एवं 2020-21 की अन्य सहकारी संस्था की परिवहन मद की कोई भी देयता शेष नहीं रहेगी।
(11) धनराशि के व्यय के दौरान वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-3/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2021, दिनांक 22 मार्च, 2021 में प्राविधानित निर्देशों का परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

4- उक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-18 के अधीन लेखाशीर्षक "2425-सहकारिता-800-अन्य व्यय-05-रासायनिक उर्वरकों का अग्रिम भण्डारण योजना-27-सब्सिडी " के नामे डाला जायेगा। सूच्य है कि प्रश्नगत योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 में प्राविधानित धनराशि रूपये 150.00 करोड़ के सापेक्ष अब कोई भी धनराशि अवशेष नहीं रह गयी है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

5- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या: यू0ओ0-ई-3471/दस-2021-2022, दिनांक 30.03.2022 में प्राप्त सहमति से निर्गत किया जा रहा है।

भवदीय

बी0एल0 मीणा
प्रमुख सचिव।

संख्या: 4/2022 I 152056 2022 (1)/49-3-2022, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम व द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
3- वित्त नियंत्रक, कार्यालय आयुक्त एवं निबन्धक, सहकारिता, उ0प्र0 लखनऊ।
4- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-2/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।
5- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 कोआपरेटिव फेडरेशन लि0, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि दिये गये दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन कराना सुनिश्चित करें।
6- वेब मास्टर, कार्यालय आयुक्त एवं निबन्धक, सहकारिता, उ0प्र0 लखनऊ।
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

डॉ0 दीपक कोहली
संयुक्त सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।